


जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-नोडल पदाधिकारी (RTE CELL), धनबाद।

आम सूचना

सरकार के सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय), झारखण्ड, राँची के अधिसूचना संख्या 237, दिनांक 16.02.2016, निदेशक, प्राथमिक शिक्षा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय), झारखण्ड, राँची के ज्ञापांक 1466, दिनांक 14.12.2020 तथा निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 1551, दिनांक 23.11.2023 में दिए गए निर्देशानुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)C के अंतर्गत जिले के सभी कोटि के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों (अल्पसंख्यक विद्यालयों को छोड़कर) में शैक्षणिक सत्र 2026-27 की प्रवेश कक्षा की कुल सामर्थ्य संख्या के 25 प्रतिशत (न्यूनतम) सीटों के विरुद्ध ऑनलाइन नामांकन हेतु आवेदन दिनांक 06/05/2024 से 30/05/2024 तक किया जा सकता है।

नामांकन संबंधित विस्तृत विवरणी जिले के वेबसाइट rtedhanbad.in पर उपलब्ध है।


06/05/2024

जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-
नोडल पदाधिकारी (RTE CELL),
धनबाद।